Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व त अहकाम जो हुक्म की त में जारी
10/03/2021	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता ने निर्णय न्यायोचित किये जाने हेतु दिनांक 24.02.2021 को सहमति प्रकट की है। प्रकरण में न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर से दिनांक 31.07.2018 को निगराकार लाला पिता भूरा गाडरी की निगरानी खारिज की जा चुकी है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 24 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् प्रकरण अन्य न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानांतरण करने का अस्वीकार किया जाता है। अतः प्रकरण संख्या 20/2016 उनवान रामा गाड़री बनाम लाला गाड़री की सुनवायी उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा सम्पादित करें। निर्णय की प्रति मय मूल पत्रावली प्रकरण संख्या 20/2016 उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा को प्रेषित करें। (शिवप्रसाद एम. नकाते) जिला कलक्टर भीलवाड़ा	